

Most urgent/PERSONNAL ATTENTION



No. STE-F(4)-1/2021
Government of Himachal Pradesh
Department of Environment, Science & Technology
From: The Chief Secretary,
Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.

To

1. All Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. All Deputy Commissioners, H.P.
3. All Superintendent of Police, HP.
4. All HoDs in H.P.
5. All Chairman / Vice Chancellors / Member Secretaries Boards / Corporation/ Commissioners, MCs, ULBs and Autonomous Bodies, H.P.

Dated Shimla-1. the 03 August, 2021.

Subject: Organization of "स्वच्छ हिमाचल अभियान 2021" w.e.f. 9th August to 15th August, 2021-reg.


Sir/Madam,

I am directed to refer to the subject cited above and inform that Government has decided to organize a State Wide Cleanliness Campaign - "स्वच्छ हिमाचल अभियान-2021" w.e.f. 9th August to 15th August, 2021.

Therefore, all the Secretaries, HODs, Deputy Commissioners, Superintendent of Polices are requested to organize the campaign in their respective areas of jurisdiction. Volunteers from all Departments, Boards, Corporations, Educational & Technical Institutions may be mobilized in the Cleanliness Campaign to ensure mass participation. The campaign will be launched on 9th August 2021 from Shimla at 10:00 A.M. The guidelines for organization of the cleanliness campaign are attached. The Department of Environment, Science & Technology, Urban Development and Rural Development are jointly coordinating for successful implementation of this campaign.

You are, requested to ensure your active participation for the successful organization of "स्वच्छ हिमाचल अभियान 2021".

Yours faithfully,


(Satpal Dhiman)
Joint Secretary(EST) to the
Government of Himachal Pradesh
Ph.0177-2880662
✓

A.O
G-III

M
03/08

3/8/21

300
5/8/21

स्वच्छ हिमाचल अभियान 2021

(9 अगस्त से 15 अगस्त 2021)

आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित

आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश पर आइए हम सब स्वच्छता की शपथ लें। स्वच्छता से प्रकृति की रक्षा करते हुए आइए हम सब समृद्ध राज्य तथा समृद्ध राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करें।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश होने पर ये निर्णय लिया गया है कि पूरे प्रदेश में 'स्वच्छ हिमाचल' अभियान 2021 चलाया जाएगा। यह अभियान पूरे प्रदेश में 9 अगस्त से 15 अगस्त 2021 तक चलाया जाएगा। यह अभियान एक साप्ताहिक कूड़ा-कचरा जम्मूदन श्रमदान कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। इस अभियान को सफल बनाने हेतु क्षेत्रवार कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं द्वारा निम्न प्रकार से किया जाएगा:

क्रमांक	परिक्षेत्र	संभावित कार्यक्रमों की सूची	कार्यक्रम समन्वय
1.	शहरी क्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"> -कूड़े -कचरे की सफाई करना। -जल स्रोतों (नदी, नाले, तालाब इत्यादि) की सफाई। -शहरी क्षेत्रों, राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तरीय राजमार्गों के आस-पास, आवासीय एवं विभागीय/प्रशासनिक परिसरों, अस्पतालों, सेंटिक टैंकों इत्यादि की सफाई। -घरों से कूड़ा-कचरा एकत्रित करने, ठोस कचरा प्रबंधन नियम, अपशिष्ट पृथक्करण के प्रति जागरूकता अभियान। -सरकार द्वारा चलाई जा रही प्लास्टिक कचरे से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी। -प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करके निष्पादित करना। 	निदेशक, शहरी विकास समस्त जिलाधीश मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट सम्बन्धित आयुक्त एवं कार्यकारी अधिकारी
शहरी क्षेत्रों में किए जाने वाली दैनिक गतिविधियों/कार्यक्रमों की सूची Annexure-I पर संलग्न है।			
2.	ग्रामीण क्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"> -जल स्रोतों (नदी, नाले, तालाब इत्यादि) की सफाई। -ग्रामीण स्तरीय विभागीय/प्रशासनिक परिसरों एवं पंचायतों, अस्पतालों, सेंटिक टैंकों इत्यादि की सफाई। -अपशिष्ट पृथक्करण के प्रति जागरूकता अभियान। -सरकार द्वारा चलाई जा रही प्लास्टिक कचरे से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी। -एकत्रित कूड़े-कचरे का उचित निष्पादन। 	निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट खण्ड विकास अधिकारी पंचायत प्रधान
ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाली दैनिक गतिविधियों/कार्यक्रमों की सूची Annexure-II पर संलग्न है।			
3.	वन क्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"> -वन क्षेत्रों की सफाई। -वन क्षेत्रों में वनों की सफाई। -सड़कों के आसपास के क्षेत्रों की सफाई। -जल स्रोतों (नदी, नाले, तालाब इत्यादि) की सफाई। 	प्रधान मुख्य वन संरक्षक जिलाधीश प्रभागीय वन अधिकारी
वन क्षेत्रों में किए जाने वाली दैनिक गतिविधियों/कार्यक्रमों की सूची वन विभाग स्तर पर तय की जाएगी।			

4.	-औद्योगिक क्षेत्र एवं पर्यटन स्थल		
	-राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालय -जिला पर्यटन कार्यालय -होटल और औद्योगिक संघ	-औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान। -पर्यटन क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान। -Critically polluted जल स्रोतों (नदी, नाले, तालाब इत्यादि) की सफाई। -शहरी क्षेत्रों, आवासीय एवं विभागीय/प्रशासनिक परिसरों, अस्पतालों, सेंटिक टैंकों इत्यादि की सफाई। -घरों से कूड़ा-कचरा एकत्रित करने, ठोस कचरा प्रबंधन नियम, अपशिष्ट पृथक्करण के प्रति जागरूकता अभियान। -सरकार द्वारा चलाई जा रही प्लास्टिक कचरे से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी। -एकत्रित कूड़े-कचरे का उचित निष्पादन।	निदेशक पर्यटन विभाग निदेशक उद्योग विभाग सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय अधिकारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समस्त खनन अधिकारी
	*औद्योगिक क्षेत्रों में किए जाने वाली दैनिक गतिविधियों/कार्यक्रमों की सूची Annexure-III पर संलग्न है। पर्यटन क्षेत्रों में किए जाने वाली दैनिक गतिविधियों/कार्यक्रमों की सूची पर्यटन विभाग स्तर पर तय की जाएगी।		
5.	-अन्य		
	-उच्च तथा माध्यमिक संस्थान -शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थान -विश्वविद्यालय -महाविद्यालय -प्रशिक्षण संस्थान	-पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। -नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन। -वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। -निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन। -व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन।	समस्त कुलपति निदेशक, पर्या.वि.प्रौद्यो. विभाग निदेशक, उच्च एवं प्राथमिक शिक्षा सभी जिलाधीश निदेशक, हि.प्र. लोक प्रशासन संस्थान सदस्य सचिव, वि.प्रौद्यो.पर्या. परिपद् महानिदेशक पुलिस तथा होम गार्ड
	दैनिक गतिविधियों/कार्यक्रमों की सूची सह सदस्य सचिव तथा समस्त निदेशक व कुलपति अपने-अपने स्तर पर तय करेंगे।		

इस अभियान को सफल बनाने हेतु निम्न निर्देश दिए जाते हैं-

- (1) यह अभियान प्रदेश के प्रत्येक जिले में चलाया जाएगा जिसका समन्वयन एवं निगरानी सम्बन्धित जिला उपायुक्त, निदेशक शहरी विकास, निदेशक ग्रामीण विकास विभाग करेंगे।
- (2) कार्यक्रम का कोविड-19 के लिए समय-समय पर सूचित SOPs के अनुसार आयोजित किया जाएगा।
- (3) यह अभियान प्रदेश के प्रत्येक जिले, तहसील, ब्लॉक व ग्राम प्राचायत स्तर पर चलाया जाएगा जिसका समन्वय एवं निगरानी सम्बन्धित जिला उपायुक्त, निदेशक शहरी विकास एवं निदेशक ग्रामीण विकास विभाग करेंगे।
- (4) स्थानीय-स्तर पर यह कार्यक्रम शहरी स्थानीय निकाय (ULBs), पंचायती राज संस्थानों (पंचायतों) द्वारा संचालित किया जाएगा।
- (5) इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों एवं गैर-सरकारी संस्थानों का सहयोग लिया जाएगा।
- (6) इस अभियान के अंतर्गत एकत्रित होने वाले कचरे को अलग-अलग थैलों (Bio-degradable व Non bio-degradable) में भरा जाएगा। इस उद्देश्य के लिए हर व्यक्ति को जो इस अभियान में शामिल हो, उसे दो अलग-अलग थैले दिए जाएंगे। यह थैले सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थानों द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। रूलबुक तथा मास्क भी प्रदान किए जाएंगे।
- (7) अभियान 9 अगस्त 2021 से प्रारम्भ होगा तथा 15 अगस्त 2021 को सम्पन्न होगा।
- (8) एकत्रित किए गए कचरे का तथा पॉलीथीन कचरे को जलाकर निष्पादन करना निषेध होगा।
- (9) सफाई के दौरान नदी, नालों, पानी के स्रोतों के आसपास के क्षेत्र, पर्यटक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- (10) प्रदेश सरकार द्वारा सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थानों, विभागों एवं संस्थाओं द्वारा उनके द्वारा प्रदेश का साफ सुथरा रखने हेतु किए गए बहुरीन कार्यों का मूल्यांकन कर प्रोत्साहित कर सम्मानित भी किया जाएगा। इस बारे में उपायुक्त स्तर से सिफारिश मान्य होगी।
- (11) पूरे प्रदेश में माध्यमिक स्तर के शैक्षणिक संस्थानों द्वारा virtual (ऑनलाइन) माध्यम से quiz, debate, आदि प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। अन्य स्थानों पर संस्थाओं द्वारा परिसर में भी आयोजित की जा सकेंगी।

- (12) स्वच्छता अभियान के दौरान एकत्रित कूड़े तथा कचरे का पूर्ण व्योरा जिलाधीशों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा संलग्नक प्रपत्र-क के अनुसार पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को प्रेषित किया जाएगा। तदोपरान्त जिसका संकलन कर विभाग द्वारा विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश सरकार को प्रेषित की जाएगी।
- (13) अभियान के दौरान स्वच्छता रैलियों में कोविड-19 संबंधित नियमों का पालन किया जाएगा।
- (14) सम्बन्धित पंचायतें, शहरी स्थानीय निकाय एवं सम्बन्धित विभाग एवं संस्थान इसी प्रकार दो अलग-अलग बोरियों में प्लास्टिक व सड़ने वाले कचरे को एकत्रित करेंगे।
- (15) लोक निर्माण विभाग सड़कों में प्रयोग होने वाले प्लास्टिक निम्नलिखित पूर्व निर्धारित स्थलों में सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थानों एवं विभागों द्वारा निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त करेंगे:

लोक निर्माण विभाग द्वारा स्थापित प्लास्टिक थंडर	प्लास्टिक अपशिष्ट प्राप्त करने का निर्धारित स्थान	सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज विभाग एवं अन्य विभाग
मण्डी	मण्डी	मण्डी, रियालसर, सुन्दरनगर, नेरचोक
कुल्लू	कुल्लू	मण्डी, कुल्लू, भुन्तर एवं बजार
धर्मशाला	धर्मशाला	धर्मशाला, कांगडा, नगराटा, पालमपुर एवं देहरा
जोगिन्दर नगर	जोगिन्दर नगर	वैजनाथ-पपराता एवं जोगिन्दरनगर
नूरपुर	नूरपुर	नूरपुर, ज्वाली, एवं चौवाडी
चम्बा	चम्बा	चम्बा एवं डलहोजी
हमीरपुर	हमीरपुर	हमीरपुर, सुजानपुर, नादोण एवं ज्वालाजी
विलासपुर	विलासपुर	विलासपुर, श्री तेजा देवी जी, तलाई एवं घुमारवीं
उना	उना	दालतपुर गगरेट, उना, मेहतपुर, सताखगढ एवं तहलीवाल
सोलन	सोलन	सोलन, राजगढ एवं अर्की
नाहन	नाहन	नाहन एवं पाँटा साहिब
निरमण्ड	निरमण्ड	रामपुर
ठियोग	ठियोग	नारकण्डा, कांटरवाई, चोपाल एवं ठियोग
रोहड़ू	रोहड़ू	जुवल एवं रोहड़ू

- (16) प्लास्टिक कचरे के अतिरिक्त एकत्रित हुए अन्य कचरे का उचित निष्पादन व प्रवन्धन शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थानों द्वारा किया जाएगा।
- (17) एकत्रित पॉलीथीन को संलग्नक-ख के अनुसार विवरण सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थानों एवं विभागों द्वारा रखा जाएगा जिसे जिला स्तर पर संकलित किया जाएगा तथा यह विवरण पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भी उपलब्ध करवाया जाएगा।
- (18) बहुपरती प्लास्टिक तथा जिस प्लास्टिक को लोक निर्माण विभाग सड़क बनाने में प्रयोग कर सकता है उसकी कतरने कर के सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय सम्बन्धित स्थानों पर सिमेंट कम्पनी को ईंधन प्रयोग हेतु भेज सकती है।
- (19) लोक निर्माण विभाग को जो प्लास्टिक/पॉलीथीन प्राप्त होगा उसका संलग्नक-ख के अनुसार विवरण पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को भी भेजेगा। लोक निर्माण विभाग प्राप्त पॉलीथीन का प्रयोग इस वर्ष निर्मित होने वाली सड़कों को बनाने में करने का प्रयास करेगा तथा जिन सड़कों के निर्माण में इसका प्रयोग होगा उसका विवरण पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझा करेगा।
- (20) इस अभियान के दौरान सभी विभाग अपने क्षेत्र की सफाई करने के लिए उत्तरदायी रहेंगे। विशेषकर वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग उनसे सम्बन्धित वन क्षेत्रों तथा सड़कों में बिखरे पॉलीथीन व अन्य कचरे को एकत्रित करने का विशेष अभियान चलाएंगे। एकत्रित पॉलीथीन व अन्य कचरे का विवरण संलग्नक-ग के अनुसार पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझा करेंगे। सभी विभाग उपरोक्त निर्देशों के तहत ही एकत्रित पॉलीथीन व अन्य कचरे का निष्पादन करेंगे।
- (21) पॉलीथीन व अन्य कचरे के प्रवन्धन की व्यवस्था एवं निष्पादन प्रवाह चार्ट संलग्नक-घ के अनुसार की जाएगी।

आदेशानुसार


(कै०के०पत)

प्रधान सचिव (पर्या.वि.प्रौ.)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

Endst. No.EDN-U(G-III)Swach Bharat./2021/- 554
Office of the, Deputy Director of Higher Education Una Distt. Una (HP).

Dated: 06-08-21

Copy forwarded for information & further necessary action :-
1. All the Principal/Headmaster of GSSSs,GHSs and GMSs in Una District.


Dy. Director of Hr. Education,
Una District Una (HP).